

(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 17 खण्ड 3 (1) में प्रकाशनार्थ)

सं० के- 20014/2/2007-डीडी 1 ए
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक दिसम्बर, 2009

अधिसूचना

सा.का.नि. सं०- दिल्ली विकास प्राधिकरण (नजूल भूमि विकास का निपटान) नियम, 1981 के नियम 2(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्वारा अधिसूचित करती है:-

भूमि की श्रेणी	2009-10 के लिए नरेला के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी०)
1 सीजीएचएस के लिए भूमि	8842.00 रु०
2 वैकल्पिक भूखण्ड	7255.00 रु० (आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल हैं)
3 डीडीए आवासीय स्कीम	
(क) एसएफएस	8842.00 रु०
(ख) एमआईजी	7368.00 रु०
(ग) एलआईजी	4421.00 रु०
(घ) ईकबचूएस	2948.00 रु०
	(फ्लैटों की बिक्री लागत निकालते समय आंतरिक विकास लागत भी जोड़ी जाए)
4 जे.जे. स्क्वेटर्स (पुनर्वास)	68.90 लाख रु० प्रति एकड़ (आंतरिक विकास की दरों को छोड़कर जो एमसीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धारित की जानी हैं)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए प्रभावी हैं।

(हस्ताक्षर)
29/12/09

(यू० विश्वनाथम)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी,
नई दिल्ली-110064